कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
लोहाघाट।

पत्रॉक :– 1089/ 20 सी०   दिनॉक – 01/10/2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वनप्रभाग,
चम्पावत।

विषय :– जनपद चम्पावत के अन्तर्गत बाराकोट में सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर के निर्माण हेतु 2.750 हे0 वनभूमि का गैर वानिकीय कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रॉक 629/ FP/UK/ROAD/42256/2019 देहरादून दिनॉक 01–09–2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है –

क्र0 सं0	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्तियॉ	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कृत कार्यवाही
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपाण की kml file की सी0 डी0 उपलब्ध नहीं करवाई गयी है। kml file में वास्तविक क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल नहीं दर्शाया गया है। प्रतीत होता है कि kml file में अपलोड सी0 ए0 क्षेत्र (8 हे0) किसी अन्य परियोजना का है। वास्तविक सी0 ए0 क्षेत्र की kml file अपलोड करने का कष्ट करें।	1– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की KML File की सी0डी0 तैयार कर पत्र के साथ संलग्न है, KML file के क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल पूर्वी कान्तेश्वर कक्ष सं0–10 अवनत वनभूमि में वृक्षारोपण हेतु स्थल 5.500 हे0 के स्थान पर मात्र 1.500 हे0 ओपन फरेस्ट ही शेष रह जाने के कारण CA Land हेतु चम्पावत रेन्ज, चम्पावत वनप्रभाग के पूर्वी कान्तेश्वर कक्ष सं0–10 में अवनत दुगनी वन भूमि 5.500 हे0 का चयन कर KML file गूगल एवं जी0ओ0 रिफरेन्स मैप, स्थल उपयुक्तता प्रमाण संशोधित करने के उपरान्त अपलोड कर दी गयी है।
2	प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में 18 चीड प्रजाति के वृ प्रभावित हो रहे हैं। का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। साथ ही प्रश्नगत परियोजना में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी दिया गया है स्थिति स्पष्ट करें।	2– बिन्दु सं0 2 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रजाति के कोई भी वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं, जिसका प्रमाण पत्र प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 43 में संलग्न है, साथ ही अवगत कराना है कि परियोजना हेतु वैकल्पिक सममरेखन अथवा द्वितीय समरेखन में 18 वृक्ष चीड़ के प्रभावित हो रहे हैं, जो कि त्रटिवश आनलाईन अपलोड हो गये हैं, जिसे अपने स्तर से भी हटाने का कष्ट करें।
3	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग –02 एवं भाग –03 संलग्न नहीं किये गये हैं।	3– भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–02 प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 78 में आपके हस्ताक्षरोंपरान्त संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है एवं भाग–3 पृष्ठ सं0 80, वनसंरक्षक, उत्तरी कुमायूँ, अल्मोड़ा के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना है।

4	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना एवं एन0 पी0 वी0 की धनराशि का निर्धारण वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	4– क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं एन0पी0वी0 की धनराशि को नई दरों पर तैयार कर आपके हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
5	प्रस्ताव बाइन्डिंग कर प्रस्तुत किया जाय।	5– प्रस्ताव पूर्व से ही बाइन्ड कर प्रेषित किये गये है।
6	उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के के पत्रांक 336 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा चाहे गये बिन्दिुओं की बिन्दुवार सूचना भी उपलब्ध करायी जानी है।	6– उपरोक्त के अतिरिक्त अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नो7डल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्त8राखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रॉक 336 दिनॉक 04–8–2021 के द्वारा लगाई गयी आपत्तियों की भी सूचना मांगी गयी है, जो निम्न प्रकार है–
	अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रॉक 336/ FP/UK/ROAD/42256/2019 देहरादून दिनॉक 04–08–2021 की अनुपालन आख्या निम्नानुसार है।	
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की योजना वर्तमान दरों के अनुसार तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	बिन्दु 1– बिन्दु सं0 1 का प्रत्युत्तर बिन्दु 4 के अनुसार है।
2	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 43 एवं 44 प्रस्तावित परियोजना में निर्माण में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं प्रमाण पत्र संलग्न है, वहीं प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 45 में 18 वृक्ष प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। हो रहे हैं। स्थिति स्पष्ट करें।	बिन्दु 2– बिन्दु सं0 2 का प्रत्युत्तर बिन्दु 2 के अनुसार है।
3	मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाप भूमि में भू–स्वामियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें व मलवा निस्तारण स्थल को मानचित्र में भी दर्शाया जाय।	बिन्दु 3– दिनॉक 10–7–2019 को ग्रामसभा में बैठक की गई। बैठक में यह भी चर्चा की गई कि नापभूमि में मलुवा डाला जा सकता है, ग्रामवासियों द्वारा नाप भूमि में मलुवा डालने हेतु सहमति दी गयी, हस्ताक्षरयुक्त सहमति पत्र एवं गूगल मानचित्र अक्षांश–देशान्तर सहित संलग्न है।
4	प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 50 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण्य, हाथी कारीडोर आदि का हिस्सा न होने का प्रमाण पत्र में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर आपेक्षित हैं। सम्बन्धी प्रमाण पत्र हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।	4– प्रस्ताव के पृष्ठ सं0 50 में राष्ट्रीय पार्क/वन्यजीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र हस्ताक्षर उपरान्त प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों में प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु भूमि का चयन सिविल सोयम भूमि में लिए जाने का उल्लेख किया गया है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 56 में सम्बन्धित वन पंचायत सरपंच द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु वन पंचायत भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया हैं स्थिति स्पस्ट करें।	5– प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में सिविल सोयम भूमि प्रभावित हो रही है, जो राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ग व श्रेणी 10(4)बं0ना0का0आ0 के नाम दर्ज है। श्रेणी 9(3)ग गौचर की भूमि प्रभावित होने के कारण सरपंच द्वारा भी अनापत्ति दी गयी है।
6	प्रस्ताव में संलग्न पार्ट –2 प्रपत्र जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर आपेक्षित हैं में हरियाली का घनत्व 0.10 अंकित है, जबकि एन0पी0वी0 निर्धारण के प्रपत्र में हरियाली का घनत्व में 0. 010 अंकित किया गया स्थिति स्पस्ट करें।	6– प्रस्तावित मोटर मार्ग में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मार्ग में हरियाली का घनत्व 0.10 है, जो झाड़ी वन के नाम से हैं। भाग–2 में हरियाली का घनत्व सही कर दिया गया है। एन0पी0वी0 में 0.10 सही कर पुनः नई दरों पर एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन आपके हस्ताक्षर उपरान्त प्रेषित किया जा रहा है।

7	प्रस्ताव में सम्बधित वन संरक्षक की संस्तुति (भाग –3) संलग्न की जाय।	7– प्रस्ताव में संलग्न पार्ट–3 प्रपत्र में वनसंरक्षक उत्तरी कुमाऊ अल्मोड़ा द्वारा संस्तुति दी जानी है।
8	प्रस्ताव में सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न की जानी है।	8– स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न है।
		9– लिंक मार्ग होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– पत्रानुसार।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

पत्रॉक :– ..../ दिनॉक – ..../..../2022

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, चम्पावत को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – खण्डीय अमीन, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट अंतर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.750 है0 वन भूमि के सापेक्ष 5.50 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

पू0 क्रान्तेश्वर क0सं0–10 अवनत वन भूमि हे0–5.50 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :– 6050 पौधे (1100 पौधे प्रति हे0)

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	5.500	हे0	147.00	808.50
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	5.500	हे0	887.00	4878.50
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 5.50 हे0 = 892.58 घमी0	462.00	धन मी0	478.00	220836.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (पूर्ण)	5.500	हे0	11700.00	64350.00
5	गड्ढे खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सैकडा गढढा	6050	गड्ढे	11.14	67397.00
6	निरीक्षण बटिया बनना	5.500	हे0	737.00	4053.50
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	6050	पौधे	8.70	52635.00
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यो पर व्यय	L/S	L/S	L/S	152000.00
9	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	100000.00
	योग – प्रथम चरण				**666958.50**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	6050	गड्ढे	1.75	10587.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	6050	पौधे	1.75	10587.50
3	पौध ढुलान कार्य	6050	पौधे	9.70	58685.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	6050	पौधे	3.13	18936.50
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	6050	पौधे	1.15	6957.50
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकड़ा पौधा	6050	पौधे	0.320	1936.00
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	5.500	हे0	7235.00	39792.50
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घाट फूस एवं ज्वलनशील पदर्थो का हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/धेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	5.500	हे0	225.00	1237.50

	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट कय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यो को प्रचार--प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	5.500	हे0	700.00	3850.00
	अन्य कार्य	L/S	हे0	L/S	130000.00
	योग– द्वितीय चरण				**286695.00**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण		हे0		**953653.50**
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 ग 12) / 10=10852	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	75000.00
	योग – तृतीय चरण				**140048.50**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 X 12) / 10=10852	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – चतुर्थ चरण				**115048.50**
	पंचम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – पंचम चरण				**115048.50**
	षष्टम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	10.626	L/S	L/S	50000.00
	योग – **षष्टम चरण**				**115048.50**
	सप्तम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – **सप्तम चरण**				**115048.50**
	सप्तम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – सप्तम चरण				**115048.50**
	अष्टम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – अष्टम चरण				**115048.50**
	नवम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – नवम चरण				**115048.50**
	दशम चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – दशम चरण				**115048.50**
	एकादश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – एकादश चरण				**115048.50**
	द्वादश चरण				
1	रोपण के उपरान्त रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	5.500	हे0	10852.00	59686.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	5.500	हे0	350.00	1925.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	5.500	हे0	225.00	1237.50
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना।	5.500	हे0	400.00	2200.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	50000.00
	योग – द्वादश चरण				**115048.50**
				कुल योग	**2244187.00**
				5.5@407992.00 अथवा	**2243956.00**

उप वनक्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रारुप—43

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के नवनिर्माण हेतु 2.450 है0 एवं 0.300 है0 कुल 2.750 है0 सिविल सोयम भूमि मार्ग के समरेखन में प्रभावित हो रही है। प्रस्तावित 2.750 है0 के दुगने अर्थात 5.500 है0 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु स्थल का चयन जनपद चम्पावत के चम्पावत रेन्ज पूर्वी कान्तेश्वर कक्ष सं0—10 क्षेत्रफल— 5.500 है0 आरक्षित अवनत वनभूमि प्रस्तावित की जाती है। यह क्षेत्र प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से उचित है।

अतः यह चयनित भू—भाग क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वथा उपयुक्त है।

ह0 / —
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

व0द0

डिजीटल मैपः– जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रांतेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0–10, क्षेत्रफल–5.5 है0, रेंज–चम्पावत, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

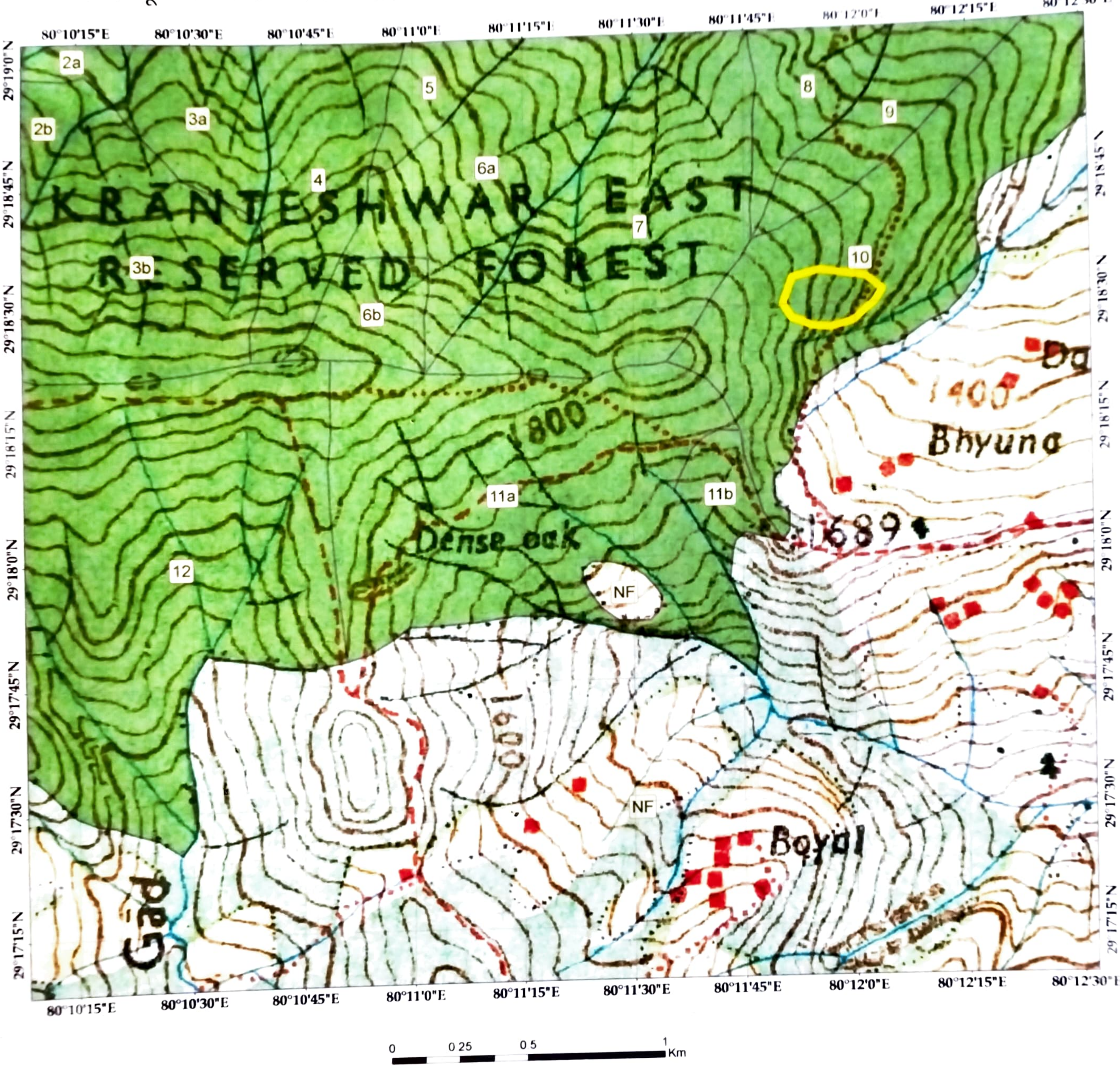

Legend

- CA Land
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary
- Purposed Land

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

जियो रैफरेन्स मैपः– जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अर्न्तगत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रांतेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0–10, क्षेत्रफल–5.5 है0, रेंज–चम्पावत, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

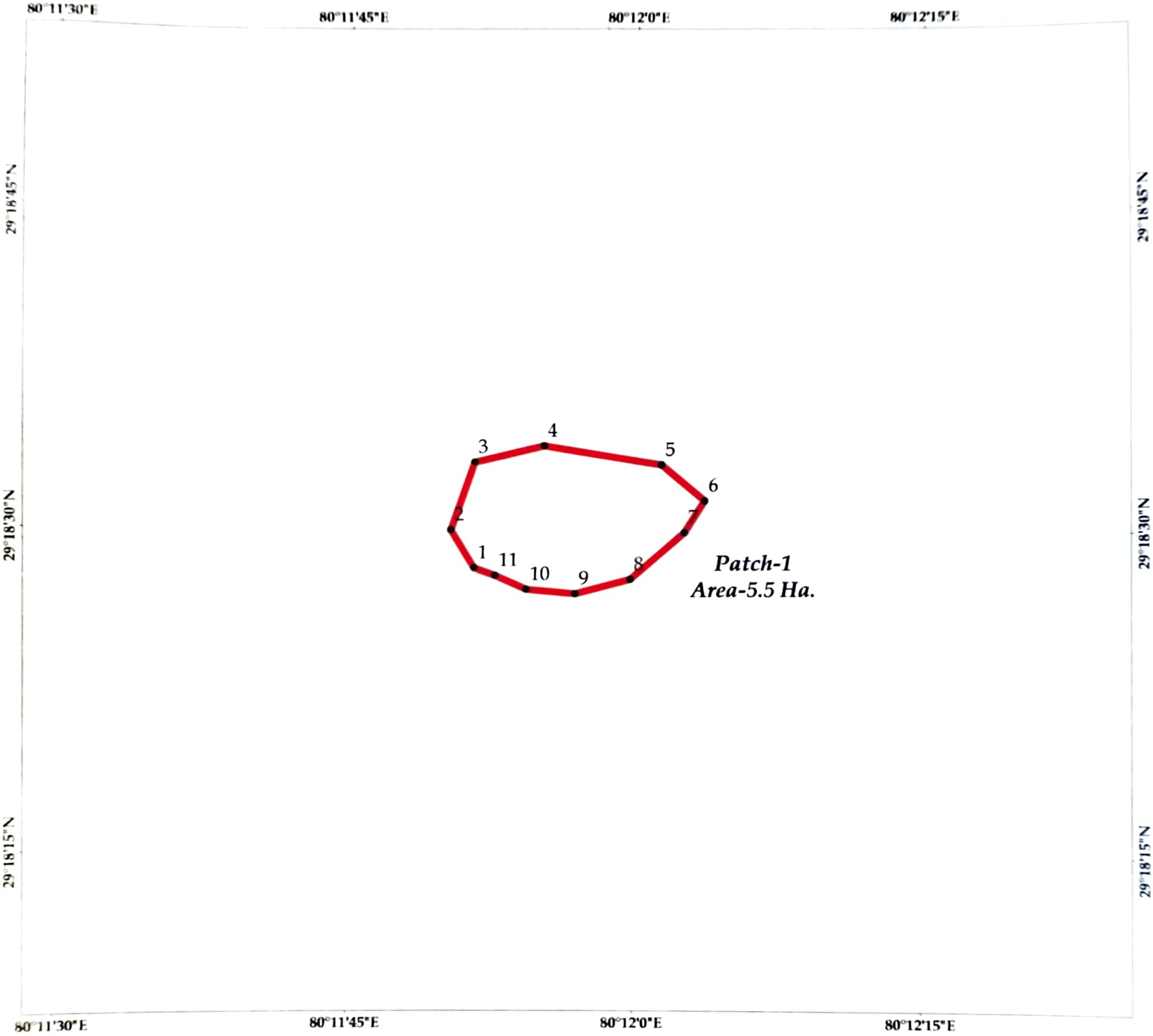

0 0.1 0.2 0.4 Km

Legend

- GPS Points
- Purposed Land

ID	Lattitude	Longitude
1	29.3078728	80.197637
2	29.3083647	80.1972941
3	29.3092501	80.1976446
4	29.3094686	80.1986617
5	29.3092279	80.2003873
6	29.308765	80.2010251
7	29.3083475	80.2007307
8	29.3077347	80.1999383
9	29.307544	80.1991309
10	29.307597	80.1984088
11	29.307777	80.1979472

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

गूगल अर्थ मैपः— जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अर्न्तगत सुतेड़ा जमरेड़ी व क्रांतेश्वर मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0—10, क्षेत्रफल—5.5 है0, रेंज—चम्पावत, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

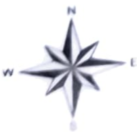

0 0.1 0.2 0.4 Km

Legend

- GPS Points
- Purposed Land

ID	Lattitude	Longitude
1	29.3078728	80.197637
2	29.3083647	80.1972941
3	29.3092501	80.1976446
4	29.3094686	80.1986617
5	29.3092279	80.2003873
6	29.308765	80.2010251
7	29.3083475	80.2007307
8	29.3077347	80.1999383
9	29.307544	80.1991309
10	29.307597	80.1984088
11	29.307777	80.1979472

वन क्षेत्राधिकारी
चम्पावत वन क्षेत्र

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रारुप–3

भाग–2
(संबधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति – **जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकासखण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेडा से जमरेडी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।**

(i) राज्य / संघराज्यक्षेत्र – **उत्तराखण्ड।**

(ii) जिला – **चम्पावत।**

(iii) जिला वन प्रभाग – **चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का क्षेत्र – **2.750 हे0**

2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थितिः आरक्षित / सिविल सोयम भूमि

3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौराः

(i) वन का प्रकार **सिविल सोयम वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।**

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व– **0.10**

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना– **मोटर मार्ग के निर्माण से वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं।**

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा – NA

4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण– निरंक

5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : 200 मी०

6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा : बंदर, लंगूर [illegible]

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नही

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए) – नही।

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं)– नही।

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे– नही।

7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)– नही।

8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) क्या भाग– 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। **–अपरिहार्य एवं न्यूनतम।**

(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।

9. **किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे** :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां / नहीं) – नही।

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरूद्ध की गई कार्यवाही – नही।

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां / नहीं) –लागू नही।

10. **क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे** :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। –संलग्न है।

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे दें। –संलग्न है।

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।–संलग्न है।

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां / नहीं)।–संलग्न है।

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां / नहीं)। –संलग्न है।

11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां / नहीं)। –हॉ

12. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।

भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊं रेंज
लोहाघाट

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग

स्थानः तारीखः हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा

प्रारुप—4

भाग—3

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पण के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेशण की तारीख संलग्न की जाय।	
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 मे दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारि ाों से सहमत हैं।	
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिश्ट सिफारि ाों	

स्थानः

तारीखः

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेडा से जमरेडी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य ।**

एन0पी0वी0 की धनराशि का आँकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 एंव पत्रांक 5–3 /2011 – ए0फ0 सी0 (VOL)-1 दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी– V
2. हरियाली का घनत्व– 0.10
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0– 1005210
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल– 5.50 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि– 5528655.00

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

निरापत्ति प्रमाण पत्र

— × — × —

ग्राम सभा सुतेड़ा वि०ख०-बाराकोट (चम्पावत)

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता महोदय
लो० नि० वि० - लोहाघाट

विषय - सुतेड़ा जमरेड़ी कान्तेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय

अनुरोध है कि सुतेड़ा जमरेड़ी कान्तेश्वर मोटर मार्ग की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी है जिसमें सुतेड़ा की वन पंचायत नहीं पड़ रही है क्योंकि वह गाँव की ही सिविल भूमि है। सिविल भूमि विभाग को देने में ग्राम पंचायत सुतेड़ा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जनहित में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जाता है।

शिवराज सिंह
सरपंच
वन पंचायत सुतेड़ा
वि.ख.- बाराकोट (चम्पावत)

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता महोदय
लो० नि० वि० लोहाघाट

विषय- मलबा निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर निवेदन कर अवगत कराना चाहते हो कि सुतेड़ा जमरेड़ी कान्तेश्वर मोटर मार्ग में सुतेड़ा से आगे रोड कटिंग का कार्य किया जाना है सुतेड़ा से आगे कटिंग कार्य में जो मलबा गिरेगा इसमें गाँव वालों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। विभाग द्वारा मलबा निस्तारण करने में ग्रामवासियों की कोई आपत्ति नहीं है। महोदय से नम्र निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र रोड कटिंग का कार्य करवाने की कृपा करें। सुतेड़ा की नाप भूमि में मलबा आने पर भी कोई आपत्ति नहीं है।

हस्ताक्षर समस्त ग्रामवासीगण

1) Rajendra Singh
2) शिवराज सिंह
3) [signature]
4) [signature]
5) [signature]
6) [illegible] सिंह
7) प्रेम [illegible]
8) [illegible] सिंह

[signature]
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सुतेड़ा
वि० ख० बाराकोट (चम्पावत)

शिवराज सिंह
सरपंच
वन पंचायत सुतेड़ा
वि.ख.- बाराकोट (चम्पावत)

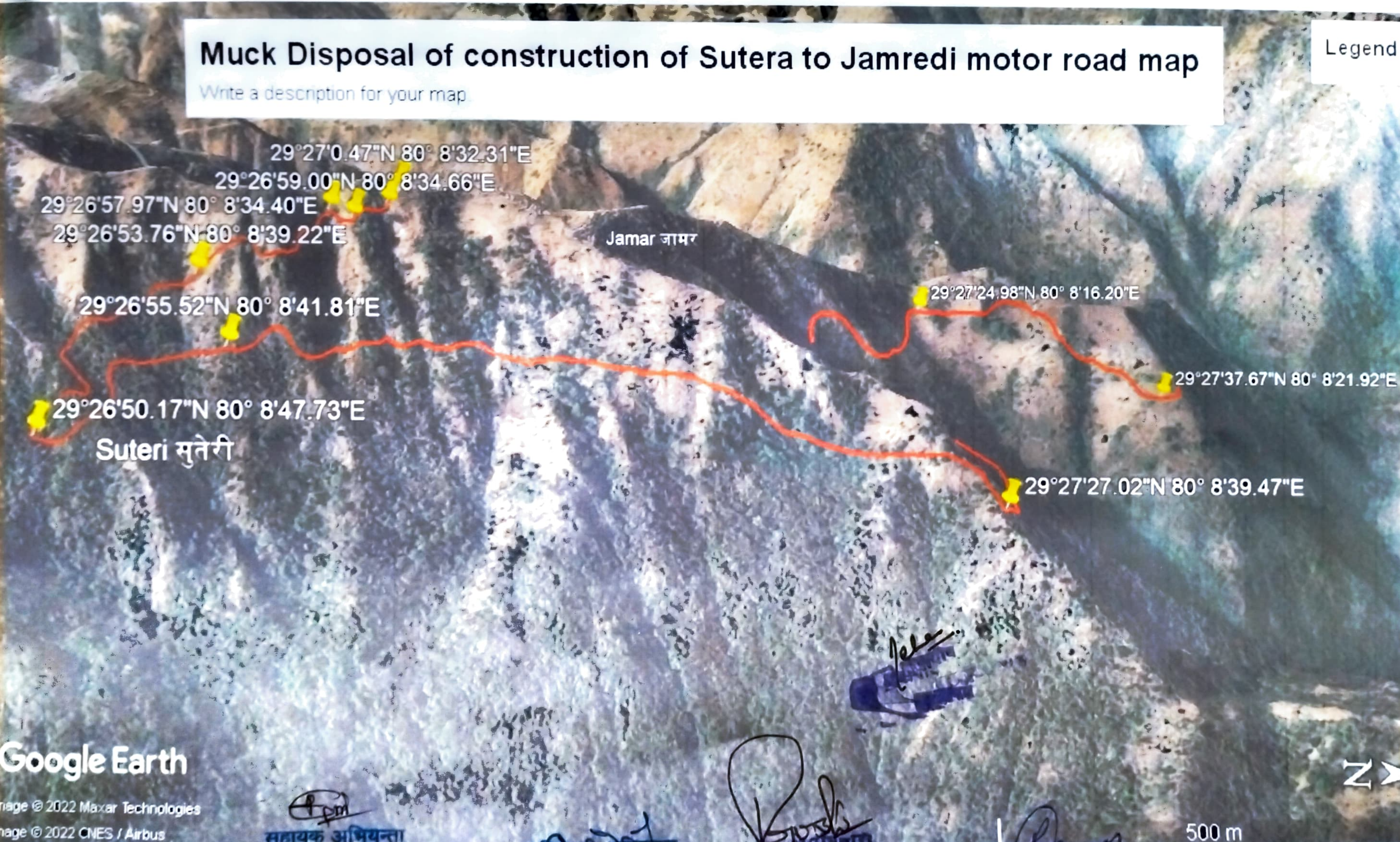

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिकारी
काली कुमाऊँ रेंज
चम्पावत वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Muck Disposal of Construction of Sutera to Jamredi Motor Road

Sl. No.	Km. & Ch.	Total Muck as per Sheet		Khata No	Size of dumping Yard	Capacity of dunping Yard (in cum)	Owner of private Land	Cordinate	
								Longitude	Latitude
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0.000 to 1.000	Total Muck	7500	Nap Land	30*20*5 40*30*4	3000 4800	Naap Land Naap Land	80^{0}8'34.66" E 80^{0}8'33.22" E	29^{0}26'59.00" N 29^{0}27'0.14" N
		60% Used Muck	4500						
		40% Un used Muck	3000						
2	1.000 to 4.500	Total Muck	57750	Civil Land	20*20* 2 20*20*2 20*20* 2 20*20*2 20*20* 2	800 800 800 800 800	Civil Land Civil Land Civil Land Civil Land Civil Land	80^{0}8'34.66" E 80^{0}8'34.40" E 80 8'39.22" E 80 8'47.73" E 80 8'41.81" E	29^{0}26'59.00" N 29 26'57.97" N 29026'53.76" N 29026'50.17" N 29026'55.52" N
		70% Used Muck	40425						
		30% Un used Muck	17325						
3	4.500 to 5.000	Total Muck	3750	Nap Land					
		40% Used Muck	1500		30*20*3 30*20*3	1800 1800	Naap Land	80^{0}8'16.20" E 80^{0}8'21.92" E	29^{0}27'24.98" N 29^{0}27'37.67" N
		60% Un used Muck	2250						
	Total Muck		69000.0						
	Used Muck		46425.0						
	Un used Muck		22575.0						

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।

उपरोक्त परियोजना के निर्माण में राष्ट्रीय पार्क / वन्यजीव अभ्यारण, हाथी कोरीडोर व अन्य किसी वन्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।

वन क्षेत्राधिकारी
काली कुमाऊँ रेन्ज
चम्पावत वन प्रभाग

सहायक अभियन्ता।
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
लोहाघाट (चम्पावत)

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

प्रारुप–7

SITE INSPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF

(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal has been received by this office from Executive Engineer. P.W.D, Lohaghat for diversion under FCA-1980) of **2.750 ha**. of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction of **Sutera to Jmreyri or Kanteswar Road** .The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated.05-10-2022...

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed Other forests measuring 2.750 ha.

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes (✓)

5.4 Whether any rare /endangered /unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No

5.5 xx Whether any protected archeological /heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area, if, so the details thereof with NOC from competent authority, if required.-

a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. Yes(✓)

b) It has been found that the user agency has violated (Conservation), Act, and 1980 provisions. A details report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached. No (✗)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal. प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

(नोटः– प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति/टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित की जाय)

(Signature)

Place:-CHAMPAWAT

Shekhar

(Mayank Shekhar Jha)
DIVISIONAL FOREST OFFICER,
CHAMPAWAT FOREST DIVISION
Office Seal ....

Date:- 05-10-2020

N.B. x State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

xx out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darted 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservator of forests is required.

Scanned by CamScanner

लिंक मार्ग होने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र– लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेडी व क्रान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण का कार्य। स्वीकृत लम्बाई 5.000 कि.मी.

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मोटर मार्ग चौमेल वल्सों मोटर मार्ग के कि0 मी0 5.00 के अन्तिम बिन्दु ग्राम सुतेडा से प्रारम्भ होकर ग्राम सभा जमरेडी तक लिंक रोड के रूप में निर्मित की जा रही है।

कनिष्ठ अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो.नि.वि.
लोहाघाट

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
लोहाघाट।